म.प्र. लोक परिसि (बᴑदखली) अधिनियम, 1974

विषय-सूची

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ
2. पररभाषाएं
3. सिम प्राधिकारी की ननयुक्तत
4. बᴑदखली कᴑ आदᴑश कᴑ विᴂ़ कारण दशाानᴑ कᴑ ललए सूचना का जारी ककया जाना5. अप्राधिकृत अधिभŌधियों की बᴑदखली
6. अप्राधिकृत अधिभŌधियों द्िारा लŌक पररसरों पर छŌड़ी िई संपक्तत का व्ययन7. लŌक पररसरों कᴑ बाबत् ककरायᴑ या नुकसानी का भुितान अपᴑक्षित करनᴑ की शक्तत8. सिम प्राधिकारी की शक्ततयााँ
9. अपील
10. आदᴑशŌ की अक्ततमता
11. अपराि तथा शाक्स्त
12. जानकारी अलभप्राप्त करनᴑ की शक्तत
13. िाररसों तथा विधिक प्रनतननधियों का दानयति
14. ककरायᴑ आदद की भू–राजस्ि कᴑ बकाया कᴑ Ø प मΛ िसूली
15. अधिकाररता का िजान
16. सदभािपूिाक की िई कायािाही का संरिण
17. शक्ततयों का प्रतयायŌजन
18. ननयम बनानᴑ की शक्तत
19. ननरसन
20. विधिमातयताकरण

म.प्र. लोक परिसि (बᴑदखली) अधिनियम, 1974
(क्रŸ . 46 सि् 1974)

[ददनांक 10 निम्बर, 1974 कŌ राष्ट्रपनत की अनुमनत प्राप्त हुई; अनुमनत "मध्यप्रदᴑश राजपत्र (असािारण)" मΛ ददनांक 26 निम्बर, 1974 कŌ प्रथम बार प्रकालशत की िई ।]

लोक परिसिों में अप्राधिकृत अधिभोधियों की बᴑदखली कᴑ ललए तथा कनतपय आिुषŸधिक विषयों कᴑ ललए उपबन्ि किᴑ कᴑ हᴑतु अधिनियम ।

भारत िणराज्य मᴑ पच्चीसिΛ िषा मᴑ मध्यप्रदᴑश वििान मंडल द्िारा ननम्नललखखत Ø प मΛ यह अधिननयलमत हŌ : -

1.**सŸक्षिप्त िाम, विस्ताि तथा प्रािŸभ** - - (1) इस अधिननयम का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदᴑश लोक परिसि (बᴑदखली) अधिनियम, 1974 हŌ ।**

(2) इसका विस्तार सम्पूणा मध्यप्रदᴑश पर हŌ ।

2. परिभाषाएᴑ - िारा 11 19 तथा 20 कŌ, जŌ कक ततकाल प्रितत हŌिी, छŌड कर यह - -

(एक) महाकŌशल िᴑत्र मΛ 12 लसतम्बर, शुØ 1952 कŌ और

(दŌ) राज् य कᴑ अतय िᴑत्रों मΛ 9 जनिरी, सन् 1959 कŌ, प्रितत हुआ समझा जाएना ।

3. सिम प्राधिकािी की नियुक्तत - - राज्य सरकार राजपत्र मΛ अधिसूचना द्िारा - -

[1][(क) ककसी ऐसᴑ व्यक्तत कŌ, जŌ सहायक कलᴑतटर या डडप्टी कलᴑतटर कᴑ पद सᴑ अननम्न पद का अधिकारी हŌ इस अधिननयम कᴑ प्रयŌजनों कᴑ ललए सिम प्राधिकारी कᴑ Ø प मΛ ननयुतत कर सकᴑिी; और]

(ख) इस अधिननयम द्िारा या उसकᴑ अिीन सिम अधिकारी कŌ प्रदतत की िई शक्ततयों का प्रयŌि या उस पर अधिरŌवपत ककए िए कततावयों का पालन सिम प्राधिकारी द्िारा क्जन स्थानीय सीमाओं कᴑ भीतर तथा लŌक पररसर कᴑ क्जन प्रिििों कᴑ संबंि सᴑ ककया जाएिा उन स्थानीय सीमाओं कŌ या लŌक पररसर कᴑ उन प्रिििों कŌ पररननक्चचत कर सकᴑिी ।

1[**4. परिसि बंदखली कं आदंश कं विæद्ध काि़ण दशााि़ं कं ललए सूचिा का जाि़ी ककया जाि़ा** - - (1) यदद सिम प्राधिकारी की यह राय हŌ कक कŌई व्यक्तत ककसी लŌक पररसर पर अप्राधिकृत अधिभŌि़ रखं हुए हŌ और यह कक उतहΛ बंदखल ककया जाना चादहए, तŌ सिम प्राधिकारी एक ललखखत सूचना जारी करंि़ा क्जसमΛ समस्त संबंधित व्यक्ततयों सं यह अपंि़ा की जाएिी कक िं विननददाष्ट तारीख कŌ इस बात का कारण दलशात करΛ कक बंदखली का आदंश तयों न ककया जाए ।

(2) उपिारा (1) कं अिीन जारी की िई सूचना मΛ - -

(क)िं आिार विननददाष्ट ककए जाएंिं, क्जन पर बंदखली का आदंश ककए जानं का प्रस्तािि़ ककया िया हŌ, और

(ख) समस्त संबंधित व्यक्ततयों सं अथाात् उन समस्त व्यक्ततयों सं, जŌ लŌक पररसर पर अधिभŌि़ रखं हुए हैं या क्जनकं संबंि मΛ यह संभाि़ना हŌ कक िं लŌक पररसर पर अधिभŌि़ रखं हुए हैं, या जŌ उसमΛ दहत रखनं का दाि़ा करतं हैं यह अपंि़ा की जाि़ंिी कक िं - -

(एक) प्रस्तावित आदंश कं विæ़ कारण यदद कŌई हŌ, सूचना मं यथा विननददाष्ट तारीख, जŌ सूचना कं जारी ककए जानं की तारीख कं बाद दस ददन सं पूि़ाि़ती तारीख नहीं हŌिी, कŌ या उसकं पूि़ा दलशात करΛ; और

(दŌ) दलशात ककए जानं िालं कारण कं समथान मं समस्त साक्ष्य विननददाष्ट तारीख कŌ पंश करΛ ।

(3) सिम प्राधिकारी उतत सूचना की तामील उसं लŌक पररसर कं बाहरी दरिाजं पर या उसकं ककसी अतय सहजदृचय भाि पर लिाकर तथा ऐसी अतय रीनत मΛ भी प्रकालशत जाएिी, जŌसी कक विदहत की जाए, और तदुपरर सूचना कं संबंि मΛ यह समझा जाएिा कक उसकी तामील समस्त संबंधित व्यक्ततयों पर सम्यक् øप सं कर दी िई हŌ ।

(4) जहााँ सिम प्राधिकारी यह जानता हŌ या उसकं पास यह विचिास करनं का कारण हŌ कक कŌई व्यक्तत लŌक पररसर पर अधिभŌि़ रखं हुए हŌ, तŌ उपिारा (3) कं उपबतिों पर प्रनतकूल प्रभाि डालं बबना, िह उस सूचना की एक प्रनत की तामील ऐसं प्रतयंक व्यक्तत पर डाक द्िारा या उस व्यक्तत कŌ पररदतत करकं या ननविदतत करकं या ऐसी अतय रीनत मΛ, जŌसी कक विदहत की जाए, करिाएिा ।]

1[**5. अप्राधिकृत अधिभोधियों की बंदखली** - - (1) िारा 4 की उपिारा (1) कं अिीन जारी की िई सूचना मΛ विननददाष्ट तारीख कŌ सिम प्राधिकारी ऐसा समस्त साक्ष्य लंिा जŌ कक दलशात ककए जानं िालं कारण कं समथान मΛ पंश ककया जाए । यदद दलशात ककए िए कारण, यदद कŌई हों, पर और ककसी साध्य पर, जŌ पंश ककया जाए, विचार करनं कं पचचात् तथा लŌक पररसर कं अलभकधथत अप्राधिकृत अधिभŌि़ कं बारं मΛ संबंधित व्यक्तत कŌ सुनिाई का युक्ततयुतत अिसर दंनं कं पचचात् सिम प्राधिकारी का यह समािान हŌ जाता हŌ कक लŌक पररसर अप्राधिकृत अधिभŌि़ मΛ हŌ, तŌ सिम प्राधिकारी बंदखली का आदंश, उसमΛ अलभललखखत ककए जानं िालं कारणों सं कर सकं िा क्जसमΛ यह

ननददाष्ट ककया जाएिा कक िह लŌक पररसर उन समस्त व्यक्ततयों द्िारा, जŌ उस लŌक पररसर पर अथिा उसकं ककसी भाि पर अधिभŌि़ रखं हुए हैं, ऐसी तारीख कŌ, जŌ उस आदंश मΛ विननददाष्ट की जाए, खाली कर ददया जाए और िह उस आदंश की एक प्रनत लŌक पररसर कं बाहरी दरिाजं पर या उनकं ककसी अतय सहजदृचय भाि पर लििाएिा ।

(2) ऐसं व्यक्तत द्िारा, क्जसकं विæ़ उपिारा (1) कं अिीन आदंश पाररत ककया िया हŌ, आिंदन ककया जानं पर, सिम प्राधिकारी उस पररसर कŌ खाली करनं कं ललए ऐसा समय, जŌसा कक िह ठीक समझं, ऐसी शतो कं साथ मंजूर कर सकं िा क्जतहΛ अधिरŌवपत करना िह उधचत समझं ।

(3) यदद कŌई अतय व्यक्तत बंदखली कं आदंश का - -

(एक) उपिारा (1) मΛ विननददाष्ट तारीख कं पूि़ा, या
(दŌ) जहााँ उपिारा (2) कं अिीन समय मंजूर ककया िया हŌ, िहााँ ऐसं मंजूर ककए िए समय कं भीतर, अनुपालन करनं सं इंकार करता हŌ या उसका अनुपालन नहीं करता हŌ, तŌ सिम प्राधिकारी या कŌई अतय अधिकारी, जŌ सिम प्राधिकारी द्िारा इस संबंि मΛ सम्यक् øप सं प्राधिकृत ककया िया हŌ, उस व्यक्तत कŌ

लŐक पररसर से बेदखल कर सके ि ा और उसका कब्जा ले सके ि ा, तथा उस प्रयŐजन के ललए ऐसे बल का प्रयŐि कर सके ि ा जŐसा कक आिचयक हŐ ।]

6. अप्राधिकृत अधिभोधियों द्ि ाि ा लोक परिसिों पि छोड़ी िई सŸपक्तत का व्ययि - - (1) जहााँ कŐई व्यक्तत ककतहीं लŐक पररसर से ि ारा 5 के अिीन बेदखल ककए िए हों, िहााँ सिम प्राधिकारी, उन व्यक्ततयों कŐ, क्जनसे कक लŐक पररसरों का कब्जा ललया िया हŐ, चौदह ददन की सूचना देने के पचचात् तथा उस सूचना कŐ कम से कम एक ऐसे समाचार-पत्र मΛ, क्जसका कक िह पररिेत्र मΛ पररचालन हŐ, प्रकालशत करने के पचचात् ऐसे पररसरों मĤ बच रही ककसी सम्पक्तत कŐ हटा सके ि ा या हटिा सके ि ा या लŐक नीलाम द्ि ारा उसका व्ययन कर सके ि ा ।

(2) जहााँ कŐई सम्पक्तत उपिारा (1) के अिीन बेच दी िई हŐ, िहााँ उसके विक्रय आिम का, उसमΛ से विक्रय व्ययों की तथा उस रकम की, यदद कŐई हŐ, जŐ कक ककराये के बकाया या नुकसानी या खचों के मद्दे राज्य सरकार कŐ या ननिलमत प्राधिकारी कŐ शŐध्य हŐ, कटौती करने के पचचात्, ऐसे व्यक्तत या व्यक्ततयों कŐ भुि तान कर ददया जाएिा जŐ कक सिम प्राधिकारी कŐ उसे प्राप्त करने के हकदार प्रतीत हŐते हों :

परततु जहााँ सिम प्राधिकारी इस बारे मΛ कक ककस-ककस व्यक्तत या ककन व्यक्ततयों कŐ उस रकम का बाकी भाि देय हŐ अथिा इस बारे मΛ उसका प्रभारण ककस प्रकार ककया जाए विननचचय करने मΛ असमथा हŐ, िहााँ िह ऐसा विि ाद सिम अधिकाररता ि ाले लसविल तयायालय कŐ ननदेलशत कर सके ि ा और उस पर उस तयायालय का विननचचय अक्ततम हŐि ा ।

7. लोक परिसिों के बाबत् ककिाये या ि ुकसाि ी का भुि ताि अपेक्षित कििे की शक्तत - - (1) जहााँ ककसी व्यक्तत पर ककतहीं लŐक पररसरों का देय ककराया बकाया हŐ, िहााँ सिम प्राधिकारी, आदेश द्ि ारा, उस व्यक्तत से यह अपेि ा कर सके ि ा कक िह उसका भुि तान [1][ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी ककचतों मΛ] कर दे जŐसे कक उस आदेश मΛ विननददाष्ट हŐ ।

(2) जहााँ कŐई व्यक्तत ककतहीं लŐक पररसरों पर अप्राधिकृत अधिभŐि रखे हुए हŐ या ककसी भी समय उन पर अप्राधिकृत अधिभŐि रखे हŐ, िहााँ सिम प्राधिकारी, नुकसानी के ननिाारण के ऐसे लसद्िाततों कŐ, जŐसे कक विदहत ककए जाएाँ, ध्यान मΛ रखते हुए ऐसे पररसरों के उपयŐि तथा अधिभŐि मद्दे नुकसानी का ननिाारण कर सके ि ा और आदेश द्ि ारा उस व्यक्तत से यह अपेि ा कर सके ि ा कक िह ऐसे समय के भीतर तथा ऐसी ककचतों मΛ, जŐसा कक उस आदेश मΛ विननददाष्ट हŐ, नुकसानी का भुि तांन कर दे ।

(3) उपिारा (1) या उपिारा (2) के अिीन कŐई भी आदेश ककसी भी व्यक्तत के विरुद्ि तब तक नहीं ककया जाएिा जब तक कक उस व्यक्तत कŐ एक ललखखत सूचना उससे, ऐसे समयं के भीतर जŐसा कक सूचना मΛ विननददाष्ट हŐ, इस संबंि मΛ कारण दलशाने की कक ऐसा आदेश तयों न ककया जाए, अपेि ा करते हुए जारी न कर दी िई हŐ और जब तक कक उसकी उन आपक्ततयों पर, यदद कŐई हŐ, तथा ककसी ऐसे साध्य पर, क्जसे कक िह उनके समथान मΛ पेश करे, सिम प्राधिकारी द्ि ारा विचार न कर ललया िया हŐ ।

8. सिम प्राधिकाि ी की शक्ततयाŸ - - इस अधिननयम के अिीन कŐई ि ाद करने के ललए सिम प्राधिकारी कŐ ननम् नललखखत बातों के संबंि मΛ िही शक्ततयााँ होंिी, जŐ कक ककसी ि ाद का विचारण करते समय लसविल प्रकक्रया संदहता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अिीन ककसी लसविल तयायालय मΛ ननदहत हŐती हŐ, अथाात् : -

(क) ककसी व्यक्तत कŐ समन करना तथा उसकŐ हाक्जर कराना और समय पर उसकी परीि ा करना,

(ख) दस्ताि ेजों के प्रकटीकरण तथा पेश ककए जाने के ललए अपेि ा करना,

(ि) कŐई अतय विषय जŐ कक विदहत ककया जाए ।

[1][**9. अपील - -** (1) राज्य सरकार, अलभसूचना द्ि ारा, ऐसे िेत्रों के संबंि मΛ जŐ अधिसूचना मΛ विननददाष्ट ककए जाएाँ, ककसी ऐसे व्यक्तत कŐ, जŐ कलेतटर के पद से अननम्न पद का अधिकारी हŐ, इस अधिननयम के प्रयŐजन के ललए अपील प्राधिकारी के øप मΛ ननयुतत कर सकेि ी ।

(2) सिम प्राधिकारी कं प्रतयंक ऐसं आदंश की, जŐ ककसी लŐक पररसर कं संबंि मΛ िारा 5 या 7 कं अिीन ककया िया हŐ, अपील उपिारा (1) कं अिीन ननयुतत ककए िए अपील प्राधिकारी कŐ हŐिी ।

(3) उपिारा (1) कं अिीन अपील - -

(क)िारा 5 कं अिीन ककसी आदंश की अपील की दशा मΛ उस िारा की उपिारा (1) कं अिीन आदंश कं प्रकाशन की तारीख सं पतरह ददन कं भीतर हŐिी; और

(ख)िारा 7 कं अिीन ककसी आदंश की अपील की दशा मΛ उस तारीख सं, क्जसकŐ िह आदंश अपीलाथी कŐ संसूधचत ककया जाए, पतरह ददन कं भीतर हŐिी :

परततु यदद अपील प्राधिकारी का यह समािान हŐ जाए कक आिंदक समय पर अपील फाइल करनं सं पयााप्त हंतुक सं ननिाररत हŐ िया था, तŐ िह अपील कŐ पतरह ददन की उतत कालाधिि कं अिसान कं पचचात् भी ग्रहण कर सकं िा ।

(4) जहााँ सिम प्राधिकारी कं ककसी आदंश की अपील की जाए, िहााँ अपील प्राधिकारी उस आदंश कं प्रिितान कŐ इतनी कुल कालाधिि तक कं ललए, जŐ साठ ददन सं अधिक की नहीं हŐिी, तथा ऐसी शतो पर, जŐसी कक िह उधचत समझं, रŐक सकं िा।

(5) इस िारा कं अिीन प्रतयंक अपील, अपील प्राधिकारी द्िारा यथासम्भि शीघ्रता कं साथ ननपटाई जाएिी ।

(6) इस िारा कं अिीन ककसी अपील कं खचे अपील प्राधिकारी कं विंकािीन हŐिं ।]

1[**9- क.**विलŐवपत ।]

10. आदंशों की अक्न्तमता - - इस अधिननयम मं अलभव्यतत Ø प सं अतयथा उपबंधित कं लसिाय, सिम प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी द्िारा इस अधिननयम कं अिीन ककया िया प्रतयंक आदंश अक्ततम हŐिा और उसं ककसी मूल िाद, आिंदन या ननष्ट्कासन कायािाही मΛ प्रचनित नहीं ककया जाएिा तथा इस अधिननयम द्िारा या उसकं अिीन प्रदतत की िई ककसी शक्तत कं अनुसरण मΛ की िई या की जानं िाली ककसी कायािाही कं संबंि मΛ ककसी तयायालय या अतय प्राधिकाररयŐ द्िारा कŐई आदंश नहीं ददया जाएिा ।

11. अपराि तथा शाक्तत - - (1) यदद व्यक्तत, जŐ इस अधिननयम कं अिीन ककतहीं लŐक पररसरों सं बंदखल कर ददया िया हŐ, उन पररसरों पर पुन: अधिभŐि रखनं कं प्राधिकार कं बबना उन पर पुन: अधिभŐि रखंिा, तŐ िह कारािास सं क्जसकी अिधि एक िषा तक की हŐ सकं िी, या जुमाानं सं, जŐ एक हजार æपयं तक का हŐ सकं िा, या दŐनों सं दंडनीय हŐिा ।

(2) ककसी व्यक्तत कŐ उपिारा (1) कं अिीन लसźदŐष ठहरानं िाला कŐई मक्जसŕंट उस व्यक्तत कŐ बंदखल करनं कं ललए संिंपतआ आदंश कर सकं िा और ऐसा व्यक्तत ककसी ऐसी अतय कायािाही पर, जŐ कक इस अधिननयम कं अिीन उसकं विæź की जा सकती हŐ, प्रनतकूल प्रभाि डालं बबना ऐसी बंदखली का दायी हŐिा ।

12. जािकािी अलभप्राप्त किनं की शक्तत - - यदद सिम प्राधिकारी कं पास यह विचिास करनं का कारण हŐ कक कŐई व्यक्तत ककतहीं लŐक पररसरों पर अप्राधिकृत अधिभŐि रखतं हुए हŐ, तŐ सिम प्राधिकारी या उसकं द्िारा इस संबंि मΛ प्राधिकृत ककया िया कŐई अतय । अधिकारी ऐसं व्यक्तत सं या ककतहीं अतय व्यक्ततयों सं यह अपंिा कर सकं िा कक िं उन लŐक पररसरों पर अधिभŐि रखनं िालं व्यक्ततयों कं नामों तथा अतय विलशक्ष्टयों सं संबंधित जानकारी दं दΛ और इस प्रकार अपंक्षित ककया िया प्रतयंक व्यक्तत ऐसी जानकारी दंनं कं ललए आबź हŐिा जŐ कक उसकं कब्जं मΛ हŐ ।

13. िारिसों तथा विधिक प्रनतनिधियों का दानयति - - (1) जहााँ कŐई व्यक्तत क्जसकं कक विæź ककरायं का बकाया अििाररत करनं कं ललए नुकसानी का ननिाारण करनं कं ललए कŐई कायािाही की जानी हŐ या की जा चुकी हŐ, कायािाही की जानं कं पूिा या उसकं लंबबत रहनं कं दŐरान मर जाए, िहााँ िह कायािाही उस व्यक्तत कं िाररसों या विधिक प्रनतननधियों कं विæź की जा सकं िी या यथाक्स्थनत चालू रखी जा सकं िी।

(2) कŐई भी ऐसी रकम, जŐ चाहö ककरायö कö बकाया कö Øप मΛ या नुकसानी या खचों कö Øप मΛ ककसी व्यक्तत द्िारा राज्य सरकार कŐ या ननिलमत प्राधिकारी कŐ शŐध्य हŐ, उस व्यक्तत की मृतयु कö पचचात् उसकö िाररसों या विधिक प्रनतननधियों द्िारा दöय हŐिी, ककततु उनका दानयति मृतक की उन आक्स्तयों कö पररणाम तक ही सीलमत हŐिा जŐ कक उनकö हाथ मΛ हŐ ।

14. ककरायö आदद की भू - िाजस्ि कö बकाया कö Øप में िसूली - - यदद कŐई व्यक्तत िारा 7 की उपिारा (1) कö अिीन दöय ककरायö कö बकाया का या उस िारा की उपिारा (2) कö अिीन दöय नुकसानी का या िारा 9 की उपिारा (5) कö अिीन राज्य सरकार या ननिलमतं प्राधिकारी कŐ ददलिए िए खचों का या ऐसö ककरायö नुकसानी या खचों कö ककसी भाि का भुितान उससö संबंधित आदöश मΛ उसकö ललए विननददाष्ट ककए िए समय यदद कŐई हŐ कö भीतर करनö सö इंकार करö या उसका भुितान उस तरह न करö, तŐ सिम अधिकारी शŐध्य रकम कö ललए कलöतटर कŐ एक प्रमाण - पत्र जारी कर सकö िा जŐ उसö भू- राजस्ि कö बकाया कö Øप मΛ िसूल करनö कö ललए कायािाही करöिा।

15. अधिकाररता का िजाि - - ककसी भी तयायालय कŐ यह अधिकाररता नहीं हŐिी कक िह ककसी ऐसö व्यक्तत की, जŐ ककतहीं लŐक पररसरों पर अप्राधिकृत अधिभŐि रखö हुए हŐ बöदखली कö संबंि मΛ या िारा 7 की उपिारा (1) कö अिीन दöय ककरायö कö बकाया की या उस िारा की उपिारा (2) कö अिीन दöय नुकसानी की या िारा 9 की उपिारा (5) कö अिीन राज्य सरकार या ननिलमत प्राधिकारी कŐ ददलिए िए खचो की या ऐसö ककरायö, नुकसानी या खचो कö ककसी भाि की िसूली कö संबंि मΛ कŐई बाद या कायािाही ग्रहण करö ।

16. सदभािपूिाक की िई कायािाही का सÝिण - - राज्य सरकार या ननिलमत प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी या सिम प्राधिकारी कö या ककसी ऐसö अधिकारी कö , जŐ इस अधिननयम कö अिीन अधिकारी द्िारा प्राधिकृत हŐ, कö विæद्ध, ककसी भी ऐसी बात कö संबंि मΛ, जŐ -इस अधिननयम या उसकö अिीन बनाए िए ककतहीं भी ननयमों या ककए िए ककतही भी आदöशों कö अनुसरण मΛ सदभािपूिाक की िई हŐ या क्जसका कक इस प्रकार सदभािपूिाक ककया जाना आशनयत रहा हŐ, कŐई िाद, अलभयŐजन या अतय विधिक कायािही नहीं हŐिी ।

17. शक्ततयों का प्रतयायोजि - - राज्य सरकार, राजपत्र मΛ अधिसूचना द्िारा, यह ननदेश दö सकö िी कक इस अधिननयम कö अिीन उसकö द्िारा प्रयŐततव्य कŐई भी शक्तत ऐसी शतों, यदद कŐई हों, जŐसी कक अधिसूचना मΛ विननददाष्ट की जाए, कö अध्यीन रहतö हुए राज्य सरकार कö ककसी अधिकारी द्िारा भी प्रयŐततव्य हŐिी ।

18. नियम बिािö की शक्तत - - (1) राज्य सरकार, राजपत्र मΛ अधिसूचना द्िारा, इस अधिननयम कö प्रयŐजनों कŐ कायााक्तित करनö कö ललए ननयम बना सकö िी।

(2) विलशष्टतया तथा पूिािामी शक्तत की व्यापकता पर प्रनतकूल प्रभाि डालö बबना, ऐसö ननयमों मΛ ननम्नललखखत समस्त विषयों या उनमΛ सö ककसी विषय कö ललए उपबति हŐ सकΛ िö अथाात् : -

(क) ककसी भी ऐसी सूचना का प्राØप क्जसका कक इस अधिननयम कö अिीन ददया जाना अपöक्षित या प्राधिकृत ककया िया हŐ, तथा िह रीनत क्जसमΛ कक उसकी तामील की जा सकö िी;

(ख) इस अधिननयम कö अिीन जाँचों का ककया जाना;

(ि) सिम प्राधिकाररयों कŐ काया का वितरण तथा बंटिारा, ककसी सिम प्राधिकारी कö समि लंबबत ककसी कायािाही कŐ अतय सिम प्राधिकारी कŐ हस्तातंतररत करनö;

(घ) लŐक पररसरों का कब्जö लöनö कö संबंि मΛ अनुसररत की जानö िाली प्रकक्रया;

(ङ) िह रीनत क्जसमö प्राधिकृत अधिभŐि कö ललए नुकसानी का ननिाारण ककया जा सकö िा और िö लसद्धातत जŐ कक ऐसी नुकसानी का ननिाारण करतö समय ध्यान मΛ रखö जा सकΛ िö;

[1][च) बह रीनत क्जसमΛ अपीलΛ की जा सकΛ िी तथा िह प्रकक्रया जŐ कक अपीलों मΛ अपील प्राधिकारी द्िारा अनुसररत की जाएिी;]

(छ) कŐई अतय विषय जŐ विदहत ककया जाना हŐ या विदहत ककया जाए ।

(3) इस अधिननयम कं िअीन बनाए िए समस्त ननयम विििान सभा कं पटल पर रखं जाएिं l

19. निििसि - - मध्यप्रदंश िििनामंट वप्रमाइसंस (इवितशन) एतट 1952 (क्रं मांक 16 सन् 1952) एतद्द्विारा ननरस्त ककया जाता हॅ ।

20. विधिमान्यताकिण - - ककसी तयायालय कं ककसी ननणाय, डडक्री या आदंश कं हॅतं हुए भी, ककसी ऐसी बात या कायाििाही (क्जसमΛ बनाए िए ननयम या ककयं िए आदंश, जारी की िई सूचनाएँ आददष्ट या की िई बंदखली, ननिाररत की. िई नुकसानी, िसूल ककए िए ककरायं या नुकसानी या खचे, शुØ की िई कायाििदहयााँ सक्म्मललत हैं) कं संबंि मΛ जॅ मध्यप्रदंश िििनामΛट वप्रमाइसंस इवितशन) एतट, 1952 (क्रमांक 16 सन् 1952) (जॅ इसमΛ इसकं पचचात् सन् 1952 कं अधिननयम कं नाम सं ननददाष्ट हॅ) कं िअीन की िई हॅ या क्जसका कक उस तरह ककया जा सकना तातपनयात रहा हॅ, यह समझा जाएिा कक िह इस तरह विधिमातय तथा प्रभाििी हॅ मानॅ कक ऐसी बात या कायाििाही इस अधिननयम कं जॅ कक िारा 1 की उपिारा (3) कं िअीन महाकंशल िंत्र मΛ 12 लसतम्बर, 1952 कॅ तथा अतय िंत्रों मΛ 1 जनिरी, 1959 कॅ प्रितत हुआ समझा जाएिा तत स् थानी उपबतिों कं िअीन की िई थी और तद्नुसार : -

(क)सन् 1952 कं अधिननयम कं िअीन िसूल ककए िए ककसी ककरायं या नुकसानी या खचों की िापसी कं ललए, उस दशा मं जबकक ऐसी िापसी का दािा कं िल इस िआार पर ककया िया हॅ कक उतत अधिननयम असंिॅििाननक तथा शूतय घॅवषत कर ददया िया हॅ । ककसी भी तयायालय मΛ कॅई िाद या अतय विधिक कायाििाही न तॅ चलाई जािेिी और.

न चालू रखी जािेिी;. और

(ख)कॅई भी तयायालय सन् 1952 कं अधिननयम कं िअीन िसूल ककए िए ककसी ककरायं या नुकसानी या खचों की िापसी का कं िल इस िआार पर कक उतत अधिननयम असंिॅििाननक तथा शूतय घॅवषत कर ददया िया हॅ ननदंश दंनं िाली ककसी डडक्री या आदंश कॅ प्रितात नहीं करंिा ।